प्रकरणः वकीलों की प्रेक्टिस पर रोक का नोटिफिकेशन

बात करने से बात बनती है

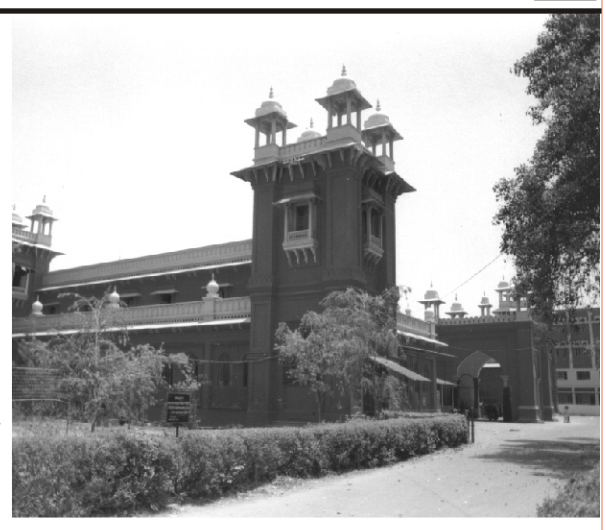

❍अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट

आजकल लगता है अधिवक्ताओं की ग्रह दशा खराब चल रही जिसे देखो वही उनपर चढ़ायी करने का उपक्रम करने लगा है। चन्द अधिवक्ताओं के कारण पूरे समुदाय को निशाना बनाना कहां तक उचित है?

अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पेशे को कलंकित करने वाले अधिवक्ताओं के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई कराई जा रही है इसमें जो अनुपात आया है वह नगण्य है। उदाहरणार्थ यदि लखनऊ को ही लिया जाय तो यहां अनुमानतः लगभग दस हजार अधिवक्ता विभिन्न न्यायालयों में प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें मात्र २६ अधिवक्ता ऐसे मिले जिनपर गम्भीर प्रकृति के अपराध हैं जिसमें ११ मामले की सी.बी.आई. जांच चल रही है तथा मात्र १५ ऐसे मामले में जिनकी सी.बी. सी.आई.डी. जांच चल रही है। यानी की मात्र ०.२६ प्रतिशत अधिवक्ता ऐसे हैं जो पेशे को बदनाम करने के कार्यों में लिप्त हैं। तात्पर्य यह कि ०.२६ प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर एक प्रतिशत भी मान लिया जाय तो १ प्रतिशत के लिए ६६ प्रतिशत के साथ यह व्यवहार क्यों?

अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्चन्यायालय ने एक नोटिफिकेशन करके अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय नियमावली में संशोधन कर दिया-

पूर्व का नियम Chapter XXIV Rute 11 (Allhabad High Court)

Appearance of advocate after committing contempt- No advocate who has been found guilty of contempt of Court shall be permitted to appear, act or plead in any Court unless he has urged himself of contempt, either by tendering apology which is accepted or by suffering punishment imposed on him or where, in case of an appeal, a stay order is in operation.

नया संसोधन

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
AMENDMENT(Admin'G') SECTION

NOTIFICATION

No.424/VIII C-2 dated Allahabad: Dec 10, 2010

Correction Slip no. 242

In exercise of the powers conferred by Article 225 of the constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to make the following amendment in Allahabad High Court Rules, 1952 Volume I., with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

AMENDMENT

1- .....

2- In place of Rule 11 of Chapter XXIV of Allahabad High Court Rules, 1952 (framed under Section 34(1) of the Advocates Act. 1961). following new Rule 11 shall be substituted:

(1) The chief Justice may prohibit any Advocate, going on strike or otherwise interring with administration of justice, from practicing in the High Court or in any Court subordinate thereto and the District Judge may prohibit such an Advocate from appearing in his Judgeship for the period specified in the order.

Explanation: Strike resorted to in Court or abstention of work from Court, by way of protest by an Advocate or group of Advocates or any Bar Assocciation, shall be deemed as an act, which tends to interfere with the administration of justice.

(2) The High Court, initiating proceedings for criminal contempt against an Advocate may prohibit such an Advocate from practising in the High Court or in any Court subordinate thereto during pendency of contempt proceeding against him.

(3) A Court convicting an Advocate for criminal contempt may prohibit him from practising in the High Court and any Court subordinate thereto for the period specified in the order.

(4) The Chief Justice may prohibit an Advocate found guilty of criminal contempt of court from practising in the High Court or any Court subordinate thereto and the District Judge in like manner may prohibit an Advocate from pracusing in his judgeship.

(5) In the event, a Senior Advocate is prohibited from practice under any of the preceding sub rules. his designation as Senior Advocate will be deemed to be suspended till the prohibition from practice continues.

Provided that the suspension of designation as Senior Advocate will not bar the High Court from cancelling his designation as Senior Advocate.

उक्त संशोधन की जानकारी जब लखनऊ के अधिवक्ताओं एवं बार एसोसिएशन को हुई तो उन्होंने जोरदार ढंग से विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया तथा इसे नापसंद अधिवक्ताओं को (जो जी हुजूरी नहीं करते) सबक सिखाने के हथियार के तौर पर देखा जाने लगा। इस क्रम में अवध बार एसोसिएशन ने ५ जनवरी को कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया।

जब माननीय मुख्य न्यायाधीश को बार के इस निर्णय का संज्ञान हुआ तो उन्होंने बार से ६ जनवरी को वार्ता का निर्णय लिया। ६ जनवरी को वार्ता के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इस पर पुनर्विचार करने का आश्वासन देते हुए पुनर्विचार होने तक इसके अमल को निम्नलिखित आर्डर से रोक दिया।

Order

The Office Bearers of the Oudh Bar Association met the Chief Justice along with senior Judges of the Lucknow Bench at Lucknow and have raised objections to the newly added Rule 11 of Chapter 24 of the Allahabad High Court Rules, 1952. The Chief Justice, on hearing the delegation, assured that the objections raised by them require to be considered and would be considered as also objections by other Associations and in the meantime, the Rule as amended would not be acted upon.

Conscquently, the Registrar General is directed to inform all the District Judges that they will not act on the newly added Rule 11 of Chapter 24 of the Allahabad High Court Rules, 1952 till such time the Rule is re-considered by the High Court.

-Chief Justice

इस सफल वार्ता के बाद बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार का निर्णय पुनर्विचार के निर्णय के आने तक इस मुद्दे पर स्थगित कर दिया। बार के पदाधिकारियों विशेष रूप से अध्यक्ष डॉ. आर.एस. पाण्डेय एवं महासचिव रमेश पाण्डेय को बार की अगुवाई के प्रयास के लिए धन्यवाद दिया गया।

नियम ११ का यह संशोधन पूरी तरह अवैधानिक है यह बार कौंसिल के अधिकारों का अतिक्रमण है क्योंकि प्रैक्टिस का अधिकार बार कौंसिल देता है इसलिए उसे निलंबित या समाप्त करने का अधिकार भी उसी को है। इसमें सबसे आपत्तिजनक बात नामित अधिवक्ताओं के बारे में है। यह उनको अपमानित करने वाला है।

बेंच व बार न्यायातंत्र के दो पहिए हैं, इसमें संतुलन के बिना न्यायालय नहीं चल पायेगा इसलिए इस संतुलन को बनाये रखने के लिए ऐसी कार्रवाइयों से बचना श्रेयस्कर होगा। ❑

भ्रष्टचारी को जाना ही होगा

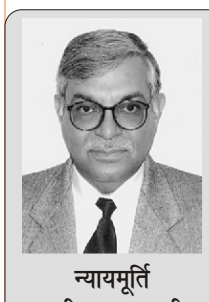

न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी

न्यायमूर्ति जयश्री तिवारी

❍गिरीश चन्द्र मिश्र, एडवोकेट

इलाहाबाद (ज.आ.)। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी तथा न्यायमूर्ति जयश्री तिवारी की पीठ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर कार्यालय में लेखाधिकारी राम नरायण पांडेय की याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के आरोप में दोष सिद्ध व्यक्ति को सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं है।

याची राम नरायण पाण्डेय रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद १५ वर्षों से निलंबित चल रहा था उसने याचिका दाखिल कर निर्वाह भत्ते में वृद्धि किये जाने की मांग की। याची को छह मई १९९५ को विजिलेंस एवं भ्रष्टाचार निरोधी विभाग ने छापा डालकर रंगे हाथ पकड़ा और धारा ७/१३(२) के तहत केस कायम हुआ। विचारण न्यायालय ने २८ नवम्बर ०६ के आदेश से याची को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस फैसले के खिलाफ अपील पर सजा आदेश पर न्यायालय ने रोक नहीं लगायी।

याची का कहना था कि छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद उसको मिल रहे निर्वाह भत्ते में वृद्धि की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि जो सरकारी सेवक नैतिक अपराध में सजा पाता है, उसे सेवा में बने रहने का हक नहीं है। न्यायालय ने कहा कि गंभीर सजा पाये कर्मचारी के मामले में सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली १९९९ के नियम ७ के उपलबंध लागू नहीं होते। न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलीय न्यायालय ने सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए जमानत दी है। इससे वह मिली सजा की उपेक्षाकर कोर्ट के आदेश का लाभ नहीं पा सकता। ❑